FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

चौथूराम बनाम भूमिधारी

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अं.धा. 136 एलआर एक्ट मु0नं0 199 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/328

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15-05-2025	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री महेन्द्र कुमार सैनी एडवोकेट उपस्थित। प्रार्थना पत्र अं.धा. 136 एलआर एक्ट दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी की तलबी जरिए सम्मन की जाकर एवं तहसीलदार पाटन से तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी होकर मिसल दिनांक 18.06.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
18/06/2025	वकील प्रार्थी उप.। वकील प्रार्थी ने प्रा. पत्र U/S 136 LR Act में प्रा.पत्र O. 6 R. 17 CPC पेश किया जो न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। वकील प्रार्थी ने संशोधित प्रा.पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। वास्ते पेश होने तलबी अप्रार्थी एवं तहसीलदार पाटन से तथ्यात्मक रिपोर्ट मिसल दिनांक 13/08/2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	पत्रावली पेश हुई। वकलाए उपा[illegible] P.O साहब दौरा [illegible] पत्रावली पूर्व आदेश [illegible] दिनांक 26/8/25 को पेश हो।	
26/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए उप. PO [illegible] पर है। पत्रावली पूर्व आदेश [illegible] दिनांक 8/9/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:36:52 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित।
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है
पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 25/9/25
को पेश हो।

25/9/25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उ
P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है
पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 7/10/25
को पेश हो।

07/10/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार पाटन से पूर्व में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जो अभिलेख पर ली जाती हैं। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने मुताबिक अनुतोष प्रार्थना पत्र अं. धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार पाटन से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का गलत नाम ''चौथमल पुत्र दल्लाराम'' दर्ज हैं जबकि प्रार्थी का नाम ''चौथमल पुत्र दल्लाराम'' की जगह क्रमशः ''चौथूराम पुत्र दलाराम'' सही होना बताया हैं। उक्त तथ्य की पुष्टि संलग्न दस्तावेजात यथा– मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड तथा तहसीलदार पाटन से प्राप्त रिपोर्ट से होती हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि :–

आदेश

तहसीलदार पाटन तन ग्राम रामसिंह की ढाणी पटवार हल्का डूंगा की नांगल तहसील पाटन जिला सीकर अवस्थित ख.नं. 387, 397, 407, 409, 388, 389, 396, 398, 409, 399, 400, 403 ता 406, 408, 507, 508, 430 में प्रार्थी का गलत दर्ज नाम ''चौथमल पुत्र दल्लाराम'' के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम ''चौथूराम पुत्र दलाराम'' दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पाटन को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:36:52 IST
Reason: SelfAttested

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)